प्रेस नोट
दिनांक 18.07.2024, मॉनिटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से 03 हत्याभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास व रूपए 20,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप 03 हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास व रु0 20,000/– के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना खरगूपुर पुलिस ने हत्या करने के आरोप में 03 आरोपी अभियुक्तों– 01. बब्लू दूबे उर्फ दिलीप कुमार, 02. स्वामीदयाल, 03. नकछेद उर्फ छेदी मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनूप प्रताप सिंह, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर आ0 सौरभ प्रताप सिंह व थाना खरगूपुर के पैरोकार आ0 अटल कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कोर्ट गोण्डा द्वारा आजीवन कारावास व रू 20,000/– के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. बब्लू दूबे उर्फ दिलीप कुमार पुत्र स्वामी दयाल नि0 लक्ष्मनपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. स्वामी दयाल पुत्र राम दुलारे नि0 लक्ष्मनपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. नकछेद उर्फ छेदी मिश्रा पुत्र राम पियारे नि0 हरिभजन पुरवा मौजा रूपईडीहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–49/2011, धारा 302,34 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।